कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः–990 / 37व्यक–सा0 / 2017 दिनांक 18 / 05 / 2018

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्त,
लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा / हल्द्वानी / पिथौरागढ़ /
पौड़ी / टिहरी / देहरादून।

2– क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई / ए0डी0बी0 /
रा0मा0 / वर्ल्ड बैंक, लो.नि.वि.
अल्मोड़ा / हल्द्वानी / देहरादून।

विषयः– **लोक निर्माण विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त / पदोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की भाग–4 (क्रमांक–381 से 469) तक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **शासकीय कार्यालय ज्ञापसंख्या–589 / III(1) / 18–101(अधि0) / 10 दि0–08.05.18।**

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–614 / III(1) / 17–101(अधि0) / 2010 दिनांक 25.05.2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त / पदोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की भाग–4 (क्रमांक 381 से 469) तक की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्धारित कर परचालित करते हुए लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं (सिविल) से यह अपेक्षा की गयी थी कि यदि किसी अभियन्ता को इस पर कोई आपत्ति है, तो वे अपना प्रत्यावेदन लोक निर्माण अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

शासन द्वारा प्रख्यापित उक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) के अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्व कतिपय प्रत्यावेदन शासन को प्राप्त हुये, जिसमें आपत्तियों के सम्यक परीक्षणोपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–589 / III(1) / 18–101(अधि0) / 10 दिनांक 08.05.2018 द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 में निहित प्राविधान के अनुसार सम्यक रूप से परीक्षणोपरान्त संलग्न सूची के अनुसार सहायक अभियन्ता (सिविल) कमांक 381 से 469 तक (भाग–4) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित करते हुए इस निर्देश के साथ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है कि प्रश्नगत अन्तिम ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार–प्रसार कर संबंधित अभियन्ताओं को उपलब्ध कराया जाय।

अतः उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत अन्तिम ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार प्रसार कर अपने अधीनस्थ संबंधित अभियन्ताओं को उपलब्ध कराकर शासन एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

I.T Upload on Site 19.05.18

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अनु सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत सूचना अपने क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
3. **अधिशासी अभियन्ता, आई.टी. विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निदेश के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें। (संलग्न–यथोपरि)।**
4. समस्त सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, / क्वालिटी कन्ट्रोल, खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची लोक निर्माण विभाग वेबसाईट पर अपलोड की गयी है, तदनुसार अवगत होना चाहें।
5. गार्ड पत्रावली हेतु।

18.5.18

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

18.05.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या — /।।।(1)/18–101(अधि0)/10
देहरादून, दिनांक ~~अप्रैल,~~ 08 मई 2018

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–614/।।।(1)/ 17–101(अधि0)/ 2010, दिनांक 25.05.2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की भाग –4 (कमांक 381 से 469) तक की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्धारित कर परिचालित करते हुये लोक निर्माण विभाग में समस्त सहायक अभियन्ताओं (सिविल) से यह अपेक्षा की गयी कि यदि किसी अभियन्ता को इस पर कोई आपत्ति है, तो वे अपना प्रत्यावेदन लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2– उक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध निम्नलिखित प्रत्यावेदन शासन को प्राप्त हुये है, जिसमें आपत्तियों के सम्यक परीक्षणोंपरान्त वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है:–

क. सं.	प्रत्यावेदन का दिनांक	आपत्तिकर्ता का नाम/पदनाम	आपत्ति	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3	4	5
1	दिनांक रहित	श्री अमित कुमार सैनी, सहायक अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, लक्सर।	श्री अमित कुमार सैनी का अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कमांक 469 पर अंकित है, जिसमें उनके पिताजी का नाम त्रुटिवश गलत होने के कारण पिताजी का नाम श्री रोढ़ा सिंह कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के अतिरिक्त श्री सैनी द्वारा स्वयं की ज्येष्ठता को सीधी भर्ती (वर्ष 2013–14) में नियुक्त सहायक अभियन्ताओ से नीचे दर्शाया गया है, जबकि सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ताओं का विभाग में स्थाईकरण नही होने के कारण उनकी ज्येष्ठता निर्धारित नही किये जाने के साथ श्री सैनी को वर्ष 2013–14 में सीधी भर्ती के नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के ऊपर निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	श्री अमित कुमार सैनी की अनन्तिम ज्येष्ठता कमांक 469 पर निर्धारित की गयी है, जिसमें उनके पिता का नाम श्री रोढा सिंह (Sh. Rodha Singh) संशोधित कर यथास्थान अंकित कर दिया गया है। चूंकि श्री अमित कुमार सैनी की नियमित पदोन्नति चयन वर्ष 2015–16 के सापेक्ष की गयी है। अतः लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन वर्ष 2013–14 में सीधी भर्ती के सापेक्ष कार्मिकों के ऊपर श्री सैनी को ज्येष्ठता दिये जाने का पुष्ट अधार नही है। इस प्रकार श्री सैनी का प्रत्यावेदन ग्राह्य नही है।
2	06.06.17	श्री ज्ञानेन्द्र पुण्डीर, सहायक अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई, देहरादून।	श्री ज्ञानेन्द्र पुण्डीर की अनन्तिम ज्येष्ठता कमांक 382 पर निर्धारित की गयी है, जिसके कम में श्री पुण्डीर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप सं0–2914 दिनांक 01.10.2009 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री पुण्डीर की ज्येष्ठता कमांक–14 पर निर्धारित	श्री ज्ञानेन्द्र पुण्डीर की कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.09.2011 के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2014 के द्वारा संशोधित की गई है। सहायक अभियन्ता का संवर्ग कनिष्ठ अभियन्ता से भिन्न है और श्री ज्ञानेन्द्र पुण्डीर की पदोन्नति चयन वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर हुआ है। अतः श्री पुण्डीर की सहायक अभियन्ता के